राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3861/2025

किरण कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सक एंव स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एंव अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकार, सवाईमाधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09..2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक,

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान मे प्रसाविका के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलारना स्टेशन जिला सवाईमाधोपुर मे कार्यरत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–1) को एक आलोच्य आदेश जारी किया गया, जिसमे अपीलार्थी के खिलाफ जॉच विचाराधीन रखते हुए अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना, चौड देने हेतु जारी किया गया। उनका कथन है कि उक्त आदेश स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है तथा आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी अपीलार्थी का पदस्थापन करने के लिए सक्षम अधिकारी नही है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मलारना,

डूंगर द्वारा दिनांक 19.06.2025 (अनुलग्नक–2) को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमे अपीलार्थी को आदेशो कि प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाईमाधोपुर कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश बिना मस्तिष्क के जारी किये गये है। किसी भी कार्मिक को आदेशो कि प्रतीक्षा में कार्यालय हाजा अर्थात निर्देशालय के लिए कार्यमुक्त किया जाता है लेकिन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया हे तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का पदस्थानप समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना, चौड कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.07.2025 (अनुल्गनक–3) के द्वारा अपनी उपस्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना चौड में प्रसतुत की । प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2025 को अपीलार्थी से कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसमे अपीलार्थी द्वारा 23.06.2025 (अनुलग्नक–4) को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। आलाच्य आदेश दिनांक 21.07.2025 एंव 19.07.2025 समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी नही किया गया है। अपीलार्थी के पदस्थापन/स्थानांतरण के लिए निर्देशक (अराजत्रीत) सक्षम अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदस्थापन/स्थानंतरण पुर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण /पदस्थापन मुख्यमंत्री के अनुमोदन/सहमति के आधार के पर जारी किया जा सकता है लेकिन उक्त आदेश में किसी प्रकार की सहमति /अनुमोदन नही लिया गया है। राजस्थानप सेवा नियम 1951 के नियम 25 (के) नियम का उल्लघन करते हुए जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध एंव अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.07.2025 एंव 19.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रसाविका के पद पर पी.एच.सी. मलारना स्टेशन, सवाईमाधोपुर, में ही पदस्थापित रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)